संक्षिप्त अवलोकन

इस प्रतिवेदन में अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानियों, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों इत्यादि से संबंधित ₹ 1,125.46 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले 19 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (विभाग)

अध्याय 2 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ थे। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

कम ब्याज प्रभारों के विलंबित दावे के कारण राज्य के राजकोष को हानि

विभागीय अधिकारियों ने भारतीय खाद्य निगम से ₹ 161.10 करोड़ के ब्याज प्रभारों के दावों को 199 से 921 दिनों तक विलंबित किया जिसके परिणामस्वरूप कैश क्रेडिट पर ब्याज के कारण ₹ 13.15 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की गलत व्याख्या के कारण ₹ 30.68 करोड़ के कम दावे किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1)

निगरानी पर अनियमित व्यय

जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक, करनाल ने विभागीय मानकों से अधिक संख्या में हेमदा, लाठर तथा भाटिया प्लिंथों में निगरानी स्टाफ की तैनाती की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.99 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.2)

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग

सरकारी निधियों की पार्किंग

खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने सात जिला खेल परिषदों और एक नवगठित खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को मार्च 2016 से जनवरी 2018 के मध्य तत्काल आवश्यकता के बिना ₹ 10.09 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप चार साल से अधिक समय तक निधियों को सरकारी खातों के बाहर रखा गया और राज्य को ₹ 3.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.3)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग
(हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

पट्टा धन की अवसूली के कारण हानि

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) ने सैक्टर 4, रेवाड़ी में स्थित बैंक्वेट हॉल को पट्टेदार को सौंपने में एक वर्ष से अधिक के विलंब के कारण ₹ 0.49 करोड़ और पट्टा धन का भुगतान न करने पर भी पट्टेदार को संपत्ति से बेदखल न करने तथा चार वर्ष तक पट्टा धन की वसूली न करके अनुचित उपकार करने के कारण ₹ 2.95 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.4)

ठेकेदार से क्षतिपूर्ति की अवसूली

कार्यकारी अभियंता, ह.श.वि.प्रा. मंडल संख्या 1, फरीदाबाद ने एक ठेकेदार से उसके जोखिम एवं लागत पर सैक्टर 61, फरीदाबाद में जलापूर्ति, सीवरेज एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज उपलब्ध करवाने एवं बिछाने के कार्य को पूर्ण करने पर अधिक व्यय तथा कार्य के पूर्ण होने में विलंब के लिए लगाई गई क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 1.61 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए।

(अनुच्छेद 2.5)

श्रम विभाग

अस्वीकृत चेकों के विरुद्ध नियोक्ताओं से वसूली योग्य राशि

श्रम कल्याण बोर्ड को ₹ 1.54 करोड़ की हानि हुई क्योंकि 1,057 नियोक्ताओं द्वारा जमा किए गए चेक बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए थे। राशि को न तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल किया गया और न ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत चूककर्ताओं को दंडित करवाने के लिए समय पर कार्रवाई की गई थी।

(अनुच्छेद 2.6)

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

पेशेवर सेवा प्रदाता को अधिक भुगतान

महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने एक पेशेवर सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं के लिए अस्वीकार्य सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर, पेशेवर शुल्क और कर्मियों के प्रतिस्थापन पर पारिश्रमिक को कम नहीं करने के कारण ₹ 1.15 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(अनुच्छेद 2.7)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

भूमि की खरीद पर अतिरिक्त व्यय

राज्य सरकार की भूमि क्रय नीति का उल्लंघन कर भूस्वामियों को भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य पर विचार किए बिना एग्रीगेटर को एकमुश्त भुगतान कर भूमि की खरीद पर ₹ 1.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था।

(अनुच्छेद 2.8)

अक्रियाशील जल कार्यों पर व्यर्थ व्यय

कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल संख्या 2, हिसार ने क्षेत्र की स्थिति का पता लगाए बिना ग्राम खैरी (हिसार) के जल निर्माण कार्यों के संवर्धन/नवीनीकरण पर ₹ 1.01 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप जल निर्माण कार्य गांव के तालाब के अपशिष्ट जल में डूबे रहे।

(अनुच्छेद 2.9)

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय 3 में अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जो राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त की कंपनियों के प्रबंधन में कमियों को प्रकट करती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ थे। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र

हरियाणा में बिजली की खरीद

हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र (ह.वि.क्र.कें.) ने गलत मेरिट आदेश तैयार करने तथा निजी उत्पादकों से महंगी बिजली खरीदने के कारण ₹ 209.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा। हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र भी अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका तथा कमी 18.64 प्रतिशत और 90.55 प्रतिशत के मध्य थी। इस प्रकार वहनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। बिजली की खरीद के प्रति भुगतानों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण त्रुटिपूर्ण थे क्योंकि गलत भुगतान के दृष्टांत पाए गए थे।

(अनुच्छेद 3.1)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

म्हारा गांव जगमग गांव योजना का कार्यान्वयन

योजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अक्षमताओं के कारण योजना का कार्यान्वयन धीमा था और इसके आरंभ (जुलाई 2015) के पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 972 ग्रामीण घरेलू आपूर्ति फीडरों में से 295 अभी तक (जनवरी 2021) पूर्ण नहीं हुए थे। कार्यों के पूरा होने में विलंब के साथ-साथ पूरा न होने के कारण कंपनी को ₹ 786.54 करोड़ का संभावित राजस्व छोड़ना पड़ा जो कि कंपनी द्वारा प्रसारण एवं वितरण हानियों के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करके प्राप्त किया जा सकता था।

(अनुच्छेद 3.2)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

अंतरीय टैरिफ की अवसूली

कंपनी ने विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 के प्रावधानों के अनुसार संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा गलत श्रेणी में कनेक्शन स्वीकृत किए गए उपभोक्ता से ₹ 39.88 लाख के टैरिफ अंतर की वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 3.3)

हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के परिकल्पित लाभों की प्राप्ति न होना

पर्याप्त निगरानी/किसी उचित परिश्रम अध्ययन के बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुपयुक्त संचालन के कारण ₹ 3.62 करोड़ का व्यय करने के बाद भी रोजगार देने के परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदाता को ₹ 2.96 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।

(अनुच्छेद 3.4)

विस्तारण फीस का अनुद्ग्रहण

कंपनी ने अनुबंध के अनुसार 27 जुलाई 2010 की बजाय 26 अगस्त 2013 से परियोजना की कार्यान्वयन अवधि की गणना करके एक आवंटी को अनुचित लाभ दिया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के विलंबित कार्यान्वयन के लिए ₹ 1.74 करोड़ की विस्तारण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 3.5)

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

धान की हेराफेरी

मिल मालिकों के पास रखे धान के स्टॉक के नियमित भौतिक सत्यापन के लिए राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया जिसके परिणामस्वरूप मिलर द्वारा धान की हेराफेरी की गई। बाद में, कंपनी ने चेक का नकदीकरण न करके मिलर का पक्ष लिया और अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई करने में देरी की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.64 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.6)

समय पर वैट जमा न करने के कारण ब्याज/पेनल्टी

कर प्राधिकारियों के पास समय पर मूल्य वर्धित कर की राशि जमा न करने के कारण कंपनी ने ₹ 1.85 करोड़ के ब्याज/पेनल्टी की परिहार्य हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.7)

हरियाणा राज्य भंडारण निगम

गेहूं के स्टॉक का नुकसान

गेहूं के स्टॉक के रखरखाव की स्थिति ठीक न होने के कारण निगम को ₹ 1.29 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.8)

धान/कस्टम मिल्ड राइस की हेराफेरी

खरीफ विपणन सीजन के दिशा-निर्देशों के नियमों और शर्तों का पालन न करने और चूककर्ता मिलर से शेष राशि की वसूली के लिए समय पर प्रयास न करने से ₹ 6.75 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.9)

हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

खराब वित्तीय प्रबंधन

खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण कंपनी ने अपनी अधिशेष निधियों पर ₹ 4.48 करोड़ का ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(अनुच्छेद 3.10)